# कार्यालय नगर पंचायत कांठ जनपद–मुरादाबाद।

दिनांक:– 23/01/25

पत्रांक/ 708 /न0पं0कांठ–2024–25

## –:मासिक किराया दर अन्तिम प्रकाशन:–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–9 द्वारा अधिसूचना संख्या–912/नौ–9–24–85ज/ 05,टी0सी0–01 लखनऊ दिनांक–28 जून, 2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली –2024 को अंतिम रूप से प्रख्यापित कर दिया गया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी। उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कांठ की भौगोलिक सीमाओं मे स्थित आवासीय भवनों या भूखंडो पर सम्पत्ति कर आरोपण हेतु वार्ड की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, मार्ग की चौडाई जिस पर सम्पत्ति स्थित है के कवर्ड एरिया की प्रति वर्ग फीट किराए की न्यूनतम मासिक किराया दर को आवासीय सम्पत्तियों पर कर निर्धारण के निमित्त वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु वार्डवार भवन के कारपेट एरिया (वास्तविक माप आधरित) अथवा कवर्ड एरिया का 80% की प्रति वर्गफुट या भूमि के प्रत्येक समूह के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के लिए प्रति वर्गफीट न्यूनतम मासिक किराया दर को कार्यालय नगर पंचायत कांठ के पत्र संख्या–599/न0पं0कांठ–2024–25 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा 02 समाचार पत्रों दैनिक हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला में जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं वार्डवार आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया गया था। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत कांठ में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः वार्डवार मासिक किराया दर की अन्तिम प्रकाशन सूची निम्नवत् है–

### वार्डवार मासिक किराया दरों की सूची (रूपया प्रति वर्गफुट)

| वार्ड संख्या | वार्ड का नाम | 09 मीटर तक | | | | 09 मीटर से 12 मीटर तक | | | | 12 मीटर से 24 मीटर तक | | | | 24 मीटर से अधिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पक्का भवन | अन्य पक्का भवन | कच्चा भवन | खाली भूमि | पक्का भवन | अन्य पक्का भवन | कच्चा भवन | खाली भूमि | पक्का भवन | अन्य पक्का भवन | कच्चा भवन | खाली भूमि | पक्का भवन | अन्य पक्का भवन | कच्चा भवन | खाली भूमि |
| 1 | फकीरगंज दक्षिणी | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.10 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.15 | 1.0 | 0.65 | 0.50 | 0.20 |
| 2 | महमूदपुरा व प्रस्तावित नवादड़ी का क्षेत्र | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.20 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.25 |
| 3 | फकीरगंज उत्तरी पश्चिमी सम्मिलित महमूदपुरा पूर्वी | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.20 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.25 |
| 4 | पट्टीवाला दक्षिणी पश्चिमी सम्मिलित माननगर | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.20 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.25 |
| 5 | प्रस्तावित पट्टी मौढा | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.25 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.35 |
| 6 | घोसीपुरा उत्तरी पूर्वी | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.25 |
| 7 | पट्टीवाला उत्तरी पूर्वी | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.25 |
| 8 | घोसीपुरा सम्मिलित पट्टीवाला | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.25 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.35 |
| 9 | पृथ्वीगंज पूर्वी | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.25 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.35 |
| 10 | पृथ्वीगंज दक्षिणी पश्चिमी | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.20 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.25 |
| 11 | चौक बाज़ार सम्मिलित घोसीपुरा | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.25 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.35 |
| 12 | विश्नपुरा सम्मिलित फकीरगंज | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.25 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.35 |
| 13 | प्रस्तावित कासमपुर नई बस्ती किढडवाला | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.15 | 0.75 | 0.50 | 0.45 | 0.20 | 1.0 | 0.75 | 0.60 | 0.25 |
| 14 | ईद गाह नई बस्ती | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.10 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.15 | 1.0 | 0.65 | 0.50 | 0.20 |
| 15 | पृथ्वीगंज उत्तरी पश्चिमी | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.10 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.15 | 1.0 | 0.65 | 0.50 | 0.20 |
| 16 | चौक बाज़ार सम्मिलित घोसीपुरा दक्षिणी | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.15 | 1.0 | 0.65 | 0.50 | 0.20 |
| 17 | पटेगंज सम्मिलित घोसीपुरा व पट्टीवाला | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.15 | 1.0 | 0.65 | 0.50 | 0.20 |

1. अनावासिक भवन हेतु मासिक किराये की दर उक्त नियमावली के नियम–5, के उपनियम (2) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
2. नगर पंचायत कांठ की भौगोलिक सीमान्तर्गत स्थित भवनों का भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य के 7.50 प्रतिशत की दर से लागू होगा। साथ ही जल निकासी कर/सीवरेज कर सम्बन्धित क्षेत्र में सीवर लाईन की सुविधा दिए जाने के पश्चात् वार्षिक मूल्य के 2.50 प्रतिशत की दर से लागू होगा।
3. भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य की गणना उक्त नियमावली के नियम–7 उपनियम (1) के अनुसार की जाएगी।
4. भारत संघ या उसके विभागों द्वारा उक्त नियमावली के नियम–7 के उपनियम (3) के अनुसार सेवा प्रभार संदेय होगा।
5. नगर पंचायत कांठ की सीमान्तर्गत स्थित यथास्थिति समस्त भवन एवं भूस्वामियों/अध्यासियों से अपेक्षा की जाती है कि स्वनिर्धारण कर प्रपत्र "प्रपत्र–क" एवं "प्रपत्र–ग" में वाछित सूचना अंकित कर 20 फरवरी 2025 तक कार्यालय नगर पंचायत कांठ में जमा कर दें। ऐसा ना करने पर नगर पंचायत कांठ द्वारा भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य की गणना स्वयं की जायेगी।
6. जब किसी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित या खाली भवन कों किराये पर दिया जाए या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के 60 दिन के भीतर या कभी निर्माण या पुनर्निर्माण के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का संवर्धन किया जाता है तो निर्माण के समापन के 15 दिवस के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा "प्रपत्र–ख" एवं "प्रपत्र–घ" में नया विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उक्त नियमावली के नियम–12 के अनुसार शास्ति अधिरोपित होगी।
7. कर निर्धारण से सम्बन्धित कोई भी जानकारी एवं स्वकर निर्धारण विवरण प्रपत्र "प्रपत्र–क", "प्रपत्र–ख", "प्रपत्र–ग", "प्रपत्र–घ" कार्यालय नगर पंचायत कांठ में किसी भी कार्यदिवस में या नगर पंचायत कांठ की आधिकारिक वेबसाईट www.npkanth.in से प्राप्त कर सकते है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कांठ , मुरादाबाद

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3 – मा0 अध्यक्ष नगर पंचायत कांठ, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक अमर उजाला को इस आशय के उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम दरों एवं आकार 14X19 $CM^2$ में प्रकाशित कर समाचार पत्र की 05–05 प्रतियां सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
5– नगर पंचायत कांठ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

23/01/25

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कांठ , मुरादाबाद

Scanned with OKEN Scanner